(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस कुव्यवस्था को समाप्त करने और फल तथा सब्जियों के रख-रखाव उनके पैकिंग व बाजार में बेचने की तकनीक में तत्काल सुधार लाने के लिए कोई कारगर कदम उठाने का निश्चय किया है; और

(घ) यदि हां, तो किए जा रहे उपायों का पूरा ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) :(क) और (ख) रिपोर्ट ने यह अनुमान लगाया है कि फलों की करीब 25–40 प्रतिशत क्षति खपत के चरण तक इन्हें तोड़ने, पैक करने और परिवहन के कारण होती है।

(ग) और (घ) खाद्य परिसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए अलग से एक खाद्य परिसंस्करण उद्योग विभाग बनाया गया है। सरकार ने अप्रैल, 1984 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गठित किया है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड खेती के बाद की क्षति को कम करने संबंधी योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा ग्रेडिंग और पैकिंग संबंधी सुविधाओं वाली एक केन्द्रीय शीत भण्डारण सुविधा स्थापित की गई है जिसके अन्तर्गत दिल्ली में फलों और सब्जियों के वितरण के लिए 135 बिक्री केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

असिंचित भूमि में उत्पादन बढ़ाने के लिए नयी तकनीक

1342. **श्री राम जेठमलानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नई प्रकार की कृषि तकनीक का अन्वेषण किया है जिसके द्वारा असिंचित भूमि में वर्तमान उत्पादन को बढ़ाकर चार गुना किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या इस नई कृषि तकनीक को आम किसान तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस प्रकार की योजना कब तक बनाए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) :(क) से (ग) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों ने स्थान विशेष के लिए बारानी खेती की उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास किया है। इस प्रौद्योगिकी के प्रमुख अंग हैं:—मृदा तथा जल संरक्षण के उपयुक्त उपाय, अधिक उपज देने वाली विभिन्न फसलों की किस्मों/संकर किस्मों का उपयोग, उन्नत कृषि औजार, अनुकूलतम उर्वरक उपयोग तथा पौध संरक्षण की विधियां, जल को एकत्रित करना तथा उसका पुनः उपयोग।

व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजनाओं में यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि जब ये सभी उपाय अपनाए जाते हैं तो बारानी फसलों की उपज तीन से चार गुनी बढ़ जाती है। यदि फसलों की उन्नत किस्मों, खेती की विधियों तथा सन्तुलित उर्वरकों का उपयोग किया जाये तो फसलों की उपज दुगनी तक की जा सकती है।

उन्नत बारानी खेती की प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1986–87 से 239 करोड़ रुपये के परिव्यय से बारानी खेती के लिए राष्ट्रीय जलसंभर विकास पर एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें 16 राज्यों के 99 जिले आते हैं जहां 500 मी०मी० से 1125 मी०मी० तक वर्षा

होती है। यह कार्यक्रम जारी रहेगा और आठवीं योजना में इसका विस्तार किया जायेगा।

Rehabilitation of bonded labourers in Madhya Pradesh

1343. SHRI SURENDRA SINGH THAKUR : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government have undertaken any survey in Madhya Pradesh State to assess the actual status of bonded labour prevalent there ;

(b) if so, what are the details of bonded labour district-wise or regionwise in Madhya Pradesh;

(c) if the reply to part (a) above be in negative, what steps Government propose to take to assess the present status of bonded labour in Madhya Pradesh State ;

(d) whether Government have taken steps to rehabilitate the bonded labourin the country in general and in Madhya Pradesh State in particular ;

(e) if so, what are the details of rehabilitation programmes of the Central Government ; and

(f) what are the details of success achieved so far in implementing these programmes ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALAVIYA) : (a) According to the State Government of Madhya Pradesh, they have undertaken a Survey .

(b) A Statement is attached. *{See* below)

(c) Does not arise.

(d) to (f) The responsibility for identification, release and rehabilitation of bonded labour under the Bonded Labour System (Abolition^ Act, 1976, rests with the State Governments concerned. In order to supplement the efforts of the State Govt, the Central Govt, has, since 1978-79, been operating a Centrally Sponsored Scheme for rehabilitation of Bonded Labour under which any amount upto a maximum of Rs. 6.250/- is made available for rehabilitation of a bonded labour, a fifty percent of which is paid by the Central Govt. as Central Share. In addition, the Central Govt, has also launched another Scheme with effect from 30th Oct. 1987 for involvement of voluntary agencies in identification and rehabilitation of bonded labour in the country. As per the reports received, till February 1989, 207187 bonded labourers had been rehabilitated in the country. The number of bonded labourers rehabilitated during the same period in the State of Madhya Pradesh was 7305.

Statement *{district-wise)*

Bonded labour freed in the State of Madhya Pradesh during 1988-89

SI. **No.**	District	Number of bonded lahour freed
		355
		193